दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail:** gstdvvnl@gmail.com | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक : 6316 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जी0एस0टी0 दिनांक 04 / 05 / 2018

मुख्य अभियन्ता (वितरण) / (सामग्री प्रबन्ध–। / ।।)
(तकनीकि) / (वाणिज्य) / (जानपद),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / आगरा–द्वितीय / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार) /
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झाँसी / बांदा।

विषय :– <u>डिपोजिट आधार पर कराये जाने वाले कार्यों पर GST की गणना एवं देयता के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0–08 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2018 दिनांक 23.02.2018 एवं इस कार्यालय के पत्र सं0–6145 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जी0एस0टी0 दिनांक 28.03.2018 जिसके द्वारा डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्य एवं अन्य मामलों पर जी0एस0टी0 सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेशों में डिपोजिट कार्य के लिये जी0एस0टी0 की गणना के लिये जो उदाहरण दिया गया है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के लिये पूर्व की भाँति Cost Data Book/Resspo Rate में निर्धारित दरों के आधार पर प्राक्कलन (Estimate) तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन (Estimate) की धनराशि पर निर्धारित दर से जी0एस0टी0 अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तत्पश्चात् जमानत राशि जोड़ी जायेगी। अतः सभी प्रकार के डिपोजिट के आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

उदाहरण :–

डिपोजिट आधार पर कराये जाने वाले कार्य की प्राक्कलन धनराशि (Estimate)	200000 / – रू0 मात्र
(जोड़ें) जी0एस0टी0 *(वर्तमान दर – 18 प्रतिशत)*	36000 / – रू0 मात्र
योग	**236000 / – रू0 मात्र**
(जोड़ें) जमानत राशि *(यदि कोई हो तो)*	4000 / – रू0 मात्र
उपभोक्ताओं से प्राप्त की जाने वाली कुल धनराशि (नोट–1)	**240000 / – रू0 मात्र***

नोट–1 :– *उपरोक्त कुल धनराशि में से सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी *(यदि कोई हो तो)* को घटाकर उपभोक्ताओं से बाकी धनराशि वसूल की जायेगी। उपरोक्त गणनाओं में धनराशि केवल उदाहरणास्वरूप हैं।

डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देश निम्नवत हैं:–

क्र0सं0	पत्रांक एवं दिनांक
1	पत्रांक 6145 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जी0एस0टी0 दिनांक 28.03.2018 (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0–08 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2018 दिनांक 23.02.2018 एवं पत्र सं0–09 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2018 दिनांक 24.03..2018 के तारतम्य में)
2	पत्रांक 6201 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जी0एस0टी0 दिनांक 13.04.2018

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जीएसटी / दिनांक / 05 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी / वाणिज्य / का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा / आगरा–द्वितीय / अलीगढ़ / कानपुर / झांसी / बांदा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner